

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]
No. 178]

दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2015/पौष 2, 1937
DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2015/PAUSA 2, 1937

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 173
[N.C.T.D. No. 173

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2015

सं. फा. 10(13)/पर्या./2015/7400-7422.—माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16.12.2015 के आदेश के अनुपालन में आई.ए. संख्या 366, 367, 368, 370, 371, 372, और आई.ए. संख्या 365 में 345, आई.ए. संख्या 369, 373, 374 में आई.ए. संख्या 366, आई.ए. संख्या 365, आई.ए. संख्या 345 के रिट याचिका (सिविल) संख्या 13029/1985 के साथ रिट याचिका (सिविल) संख्या 817/2015, रिट याचिका (सिविल) संख्या 116/2013 और रिट याचिका (सिविल) संख्या 728/2015 और इस कार्यालय के अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या./2015/6187-6189 दिनांक 20-10-2015, तदानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित दरों पर दिल्ली आने वाले सामान से लदे हुए हल्के तथा भारी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) वसूल करेगी :-

- | | | |
|------|---|-------------|
| (i) | श्रेणी 2 (हल्के ड्यूटी वाहनों इत्यादि) तथा
श्रेणी 3 (2 ऐक्सल ट्रक) | 1300/-रुपये |
| (ii) | श्रेणी 4 (3 ऐक्सल ट्रक) तथा
श्रेणी 5 (4 ऐक्सल ट्रक तथा अधिक) | 2600/-रुपये |

उपरोक्त दरें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-12-2015 से प्रभावी होंगी।

कुलानंद जोशी, विशेष सचिव (पर्यावरण)

**DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd December, 2015

No. F. 10(13)/Env./2015/7400-7422.—In compliance with the order dated 16.12.2015 of Hon'ble Supreme Court in I.A. No. 366, 367, 368, 370, 371, 372, in I.A. No. 365 in I.A. No. 345, I.A. No. 369, 373, 374 in I.A. No. 366 in I.A. No. 365 in I.A. No. 345 in Writ Petition (Civil) No. 13029/1985, with Writ Petition (Civil) No. 817 of 2015, Writ Petition (Civil) No. 116 of 2013 and Writ Petition (Civil) No. 728 of 2015 and in continuation with the notification No.F10(13)/Env/2015/6167-6189 dated 20.10.2015, Environment Compensation Charge (ECC) on Delhi bound light and heavy duty commercial vehicles loaded with goods shall be on the following rates:

- | | | |
|------|--|------------|
| (i) | Category 2 (light duty vehicles etc) and
Category 3 (2 axle trucks) | Rs. 1300/- |
| (ii) | Category 4 (3 axle trucks) and
Category 5 (4 axle trucks and above) | Rs. 2600/- |

The aforesaid rate shall come into effect from the date of the order dated 16-12-2015 of Hon'ble Supreme Court.

KULANAND JOSHI, Special Secy. (Environment)